ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागिता के प्रति पुरुषों के व्यवहारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन: हनुमानगढ़ जिला (राजस्थान) के विशेष संदर्भ में

[1]डॉ. परविन्द्रजीत सिंह
[1]प्राचार्य, संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

सार—**ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने का प्रमुख माध्यम हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक आरक्षण लागू होने के बाद पंचायतों में उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु नेतृत्व की प्रभावशीलता केवल निर्वाचित होने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सामाजिक स्वीकृति, पारिवारिक सहयोग तथा विशेष रूप से पुरुषों के व्यवहार से भी प्रभावित होती है। ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना में पुरुषों की भूमिका निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख रही है, इसलिए महिला नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण पंचायतों के कार्य निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।**

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों के व्यवहार का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा, आयु, जाति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संरचना तथा सामाजिक मान्यताएँ पुरुषों के व्यवहार को किस सीमा तक प्रभावित करती हैं। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा अवलोकन के माध्यम से एकत्र किए गए, जबकि द्वितीयक जानकारी पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों तथा संबंधित साहित्य से प्राप्त की गई।

अध्ययन से संकेत मिलता है कि जिन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है तथा महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सामाजिक समर्थन प्राप्त है, वहाँ पुरुषों का दृष्टिकोण अधिक सहयोगात्मक पाया जाता है। इसके विपरीत, परंपरागत सामाजिक मान्यताओं वाले क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों को निर्णय-निर्माण, प्रशासनिक कार्यों तथा सार्वजनिक नेतृत्व के निर्वहन में विभिन्न प्रकार की सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता केवल संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समाज में लैंगिक समानता, पारस्परिक सम्मान और सहयोगात्मक व्यवहार की संस्कृति के विकास पर भी आधारित है। इसलिए महिला नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता, क्षमता निर्माण तथा पुरुषों की सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

प्रमुख शब्द—**पंचायती राज, महिला नेतृत्व, पुरुष व्यवहार, ग्रामीण समाज, महिला सशक्तिकरण, समाजशास्त्र, हनुमानगढ़, राजस्थान।**

I. प्रस्तावना

भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की सक्रियता एवं प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाएँ लोकतंत्र की आधारभूत इकाई हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय जनता को विकास योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए

आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस संवैधानिक व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए।

राजस्थान में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में निर्वाचित होकर नेतृत्वकारी भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। यद्यपि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूप से बढ़ा है, तथापि वास्तविक निर्णय-निर्माण, प्रशासनिक अधिकारों के उपयोग तथा नेतृत्व की स्वतंत्रता अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें पुरुषों का दृष्टिकोण, सहयोग, सामाजिक स्वीकृति तथा पारिवारिक समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रधान एवं ग्रामीण जिला है, जहाँ सामाजिक संरचना पारंपरिक मूल्यों एवं आधुनिक परिवर्तनों के मध्य संक्रमण की स्थिति में है। इस जिले में पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएँ संचालित हो रही हैं तथा महिलाओं की भागीदारी भी निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद अनेक स्थानों पर महिला प्रतिनिधियों को सामाजिक पूर्वाग्रह, लैंगिक असमानता तथा पुरुष प्रधान मानसिकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता का मूल्यांकन पुरुषों के व्यवहार एवं सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में करना समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

II. अध्ययन की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को क्रमशः विकसित किया गया। वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद महिलाओं को न्यूनतम एक-तिहाई तथा अनेक राज्यों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया गया। इस व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व का अवसर प्रदान किया और स्थानीय शासन में उनकी सहभागिता को बढ़ावा दिया।

समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि केवल आरक्षण उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिला प्रतिनिधियों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामाजिक वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए। ग्रामीण समाज में पुरुषों की सोच, पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया, सामाजिक परंपराएँ तथा लैंगिक भूमिकाओं के प्रति दृष्टिकोण महिला नेतृत्व की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अनेक स्थानों पर महिलाओं ने प्रभावशाली नेतृत्व प्रस्तुत किया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व', सामाजिक दबाव तथा निर्णय लेने की सीमित स्वतंत्रता जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं।

हनुमानगढ़ जिले की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, विविध जातीय संरचना, संयुक्त एवं एकल परिवारों की मिश्रित व्यवस्था तथा शिक्षा के बढ़ते स्तर के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ऐसे परिवर्तित सामाजिक

परिदृश्य में महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों के व्यवहार का अध्ययन ग्रामीण समाज में लैंगिक संबंधों और लोकतांत्रिक सहभागिता को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

III. अध्ययन का औचित्य

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। तथापि महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज, विशेषकर पुरुष वर्ग, उसे किस प्रकार स्वीकार करता है और उसके साथ कैसा व्यवहार करता है।

हनुमानगढ़ जिले में इस विषय पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों की संख्या सीमित है। अधिकांश अध्ययन महिला प्रतिनिधित्व, आरक्षण या पंचायतों की कार्यप्रणाली तक सीमित रहे हैं, जबकि महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों के व्यवहार, सहयोग, सामाजिक स्वीकृति तथा निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका का गहन विश्लेषण अपेक्षाकृत कम हुआ है। यह शोध इसी ज्ञान-अंतर (Research Gap) को भरने का प्रयास करेगा।

अध्ययन के निष्कर्ष महिला सशक्तिकरण, पंचायत प्रशासन, ग्रामीण विकास तथा लैंगिक समानता से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही यह शोध समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन तथा महिला अध्ययन के क्षेत्र में भविष्य के शोधार्थियों के लिए भी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराएगा।

IV. शोध समस्या

संवैधानिक आरक्षण के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु वास्तविक नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता तथा प्रशासनिक प्रभावशीलता अभी भी अनेक सामाजिक बाधाओं से प्रभावित होती है। ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक संरचना, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा पुरुष प्रधान मानसिकता कई बार महिला प्रतिनिधियों की स्वतंत्र कार्यशैली में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रश्न विशेष महत्व रखता है कि पुरुष वर्ग महिला नेतृत्व को किस सीमा तक स्वीकार करता है, पंचायत के कार्यों में उनका सहयोग किस प्रकार का है तथा शिक्षा, आयु, जाति, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे कारक उनके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इन प्रश्नों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण इस शोध की प्रमुख समस्या है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन की मूल शोध समस्या इस प्रकार निर्धारित की गई है–

"हनुमानगढ़ जिले (राजस्थान) की ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागिता के प्रति पुरुषों का व्यवहार किन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है तथा इन व्यवहारों का महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है?"

V. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों के व्यवहार का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

1. हनुमानगढ़ जिले की ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. महिला जनप्रतिनिधियों के प्रति पुरुषों के सहयोग, सहभागिता तथा सामाजिक स्वीकृति के स्तर का विश्लेषण करना।
3. पुरुषों के व्यवहार पर शिक्षा, आयु, जाति, आय, व्यवसाय तथा पारिवारिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. महिला नेतृत्व के समक्ष उपस्थित सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं की पहचान करना।
5. महिला नेतृत्व को प्रभावी बनाने में पुरुषों की सकारात्मक भूमिका एवं सहयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।
6. अध्ययन के आधार पर महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने हेतु व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

VI. शोध प्रश्न

अध्ययन को व्यवस्थित दिशा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शोध प्रश्न निर्धारित किए गए हैं–

1. क्या हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष महिला नेतृत्व को समान रूप से स्वीकार करते हैं?
2. महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों का व्यवहार किन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है?
3. क्या शिक्षा का स्तर पुरुषों के दृष्टिकोण एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है?
4. क्या जाति, आयु एवं आर्थिक स्थिति महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों की सोच को प्रभावित करती है?
5. पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के निर्णयों को पुरुष वर्ग किस सीमा तक समर्थन प्रदान करता है?
6. क्या महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता पुरुषों के सहयोग से प्रभावित होती है?

VII. साहित्य समीक्षा

किसी भी शोध की वैज्ञानिकता उसके पूर्ववर्ती अध्ययनों की सम्यक् समीक्षा पर आधारित होती है। साहित्य समीक्षा के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि संबंधित विषय पर अब तक क्या कार्य किया जा चुका है, किन निष्कर्षों तक पहुँचा गया है तथा वर्तमान अध्ययन किस प्रकार नया योगदान प्रदान करेगा।

महिला नेतृत्व एवं पंचायती राज संस्थाओं पर उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक आरक्षण ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को पंचायत स्तर पर प्राथमिकता दी है। इससे ग्रामीण विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं।

राजस्थान के संदर्भ में उपलब्ध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, किन्तु विभिन्न जिलों में सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनके अनुभव भिन्न-भिन्न हैं। हनुमानगढ़ जिले के संदर्भ में महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों के व्यवहार का समाजशास्त्रीय विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। यही शोध-अंतर (Research Gap) इस अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान करता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इसी शोध-अंतर को भरते हुए यह समझना है कि हनुमानगढ़ जिले में पुरुषों का व्यवहार महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए किन सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता है।

शर्मा (2015) ने राजस्थान की ग्राम पंचायतों का अध्ययन करते हुए पाया कि महिला नेतृत्व की सफलता केवल आरक्षण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पुरुषों के सहयोग, सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण पर भी आधारित होती है।

सिंह एवं सिंह (2018) ने महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं के संबंध का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सकारात्मक सुधार हुआ है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में प्रॉक्सी नेतृत्व की समस्या भी विद्यमान रही।

रीतु सारस्वत (2024) ने स्थानीय शासन में महिला जनप्रतिनिधियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए यह रेखांकित किया कि पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक पूर्वाग्रह महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सामाजिक जागरूकता एवं लैंगिक समानता को महिला नेतृत्व की सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना।

VIII. सैद्धान्तिक आधार

प्रस्तुत अध्ययन समाजशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों पर आधारित है, जिनके माध्यम से महिला नेतृत्व तथा पुरुषों के व्यवहार का विश्लेषण किया गया है।

(क) नारीवादी सिद्धान्त (Feminist Theory)

नारीवादी सिद्धान्त के अनुसार समाज में महिलाओं और पुरुषों के मध्य विद्यमान असमानताएँ जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं का परिणाम हैं। यह सिद्धान्त महिलाओं को समान अवसर, समान अधिकार तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में समान भागीदारी प्रदान करने पर बल देता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि सत्ता-साझेदारी और सामाजिक न्याय का भी विषय है। इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण समाज में पुरुष महिला नेतृत्व को किस सीमा तक स्वीकार करते हैं तथा उनके व्यवहार में लैंगिक समानता की भावना किस प्रकार परिलक्षित होती है।

(ख) पितृसत्ता सिद्धान्त (Patriarchy Theory)

पितृसत्ता सिद्धान्त के अनुसार समाज की प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की परंपरा लंबे समय तक पुरुषों के हाथों में केंद्रित रही है। परिणामस्वरूप महिला प्रतिनिधियों को कई बार स्वतंत्र निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि पितृसत्तात्मक सोच पुरुषों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है तथा इसका महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(ग) सामाजिक भूमिका सिद्धान्त (Social Role Theory)

यह सिद्धान्त बताता है कि समाज महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित करता है। पारंपरिक ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती रही है, जबकि नेतृत्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व पुरुषों से जोड़े जाते रहे हैं। जब महिलाएँ पंचायतों में नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं, तब इन पारंपरिक धारणाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस अध्ययन में पुरुषों के व्यवहार का विश्लेषण इसी सामाजिक भूमिका परिवर्तन के संदर्भ में किया गया है।

IX. अध्ययन क्षेत्र (हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान)

हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है। घग्घर नदी का प्रवाह, नहर सिंचाई व्यवस्था तथा कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। जिले की सामाजिक संरचना में विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक समूह निवास करते हैं। यहाँ ग्रामीण आबादी का अनुपात अधिक होने के कारण पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय शासन एवं विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिले में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, किन्तु विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। इस कारण हनुमानगढ़ जिला महिला नेतृत्व एवं पुरुषों के व्यवहार के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है।

X. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

संग्रहित आँकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि पुरुषों का व्यवहार उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न पाया जाता है। उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में महिला नेतृत्व के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला, जबकि कम शिक्षित एवं पारंपरिक सामाजिक पृष्ठभूमि वाले उत्तरदाताओं में महिला नेतृत्व के प्रति संकोच तथा सीमित स्वीकार्यता पाई गई।

यह भी देखा गया कि जिन परिवारों में महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक सहभागिता अधिक थी, वहाँ पुरुषों का सहयोगात्मक व्यवहार अपेक्षाकृत अधिक था। इसके विपरीत, पितृसत्तात्मक सोच वाले परिवारों में महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

XI. निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है। तथापि महिला नेतृत्व की वास्तविक प्रभावशीलता केवल संवैधानिक आरक्षण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पुरुषों के व्यवहार, सामाजिक स्वीकृति, पारिवारिक सहयोग तथा शिक्षा के स्तर से भी प्रभावित होती है।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि युवा एवं शिक्षित पुरुषों में महिला नेतृत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक पाया जाता है, जबकि पारंपरिक सामाजिक संरचना वाले क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सोच अभी भी प्रभावी है। इसलिए महिला नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक चेतना एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हनुमानगढ़ जिले के संदर्भ में यह अध्ययन दर्शाता है कि महिला नेतृत्व की सफलता केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं है, बल्कि समाज में पुरुषों के सहयोगात्मक व्यवहार, पारस्परिक सम्मान तथा समान अवसर की भावना पर भी निर्भर करती है। जब पुरुष और महिलाएँ साझेदारी की भावना से पंचायतों में कार्य करते हैं, तब स्थानीय शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं विकासोन्मुख बनता है। अतः महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन, क्षमता निर्माण तथा संस्थागत सहयोग को समान महत्व दिया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

[1] बुच, निर्मला. (2000). **नई पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के अनुभव**. नई दिल्ली: सेंटर फॉर विमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज़।

[2] जायल, निरजा गोपाल. (2006). **भारत का प्रतिनिधित्व: जातीय विविधता एवं सार्वजनिक संस्थाओं का शासन**. पालग्रेव मैकमिलन।

[3] कौशिक, अनुपमा, एवं शक्तावत, गायत्री. (2010). **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी: चित्तौड़गढ़ जिला परिषद का एक अध्ययन**. *जर्नल ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़*।

[4] भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. (2024). **वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24**. नई दिल्ली: भारत सरकार।

[5] राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग. (2024). **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24**. जयपुर: राजस्थान सरकार।

[6] दवे, ए., एवं मांडोत, डी. (2025). **राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाने की भूमिका (1990-2024)**. *अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका*।

[7] रचना देवी, एवं शर्मा, एम. (2025). **पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का जमीनी स्तर के शासन पर प्रभाव**. *ग्लोबल वैल्यूज़*।

[8] भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त. (2011). **जिला जनगणना पुस्तिका: हनुमानगढ़ (राजस्थान)**. नई दिल्ली: भारत सरकार।